संख्या-56/2024/975/2024/12-5/24/2023

प्रेषक,

रविन्द्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊः दिनाँकः 12 सितम्बर, 2024

विषय: आकांक्षात्मक विकास खण्डों में प्रगति के अनुश्रवण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन-1 (नियोजन विभाग), उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या:1/2024/(506/24)/UPSPC-STC1017M/15/2023-SPCS1/72670, दिनाँकः 29 फरवरी, 2024 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा देश में संचालित आकांक्षात्मक विकास खण्ड कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश द्वारा पूर्व में निर्धारित 75 इंडिकेटर्स फ्रेमवर्क को Rationalise करते हुए नीति आयोग द्वारा 42 जनपदों में निर्धारित 40 इंडिकेटर्स तथा प्रदेश की प्राथमिकता के 10 इंडिकेटर्स के साथ कुल 50 इंडिकेटर्स के आधार पर प्रदेश द्वारा ABP+ के रूप में 108 (100+8 महत्वाकांक्षी जनपदों से) आकांक्षात्मक विकास खण्डों के 05 विषयगत क्षेत्रों के अंतर्गत कृषि से संबंधित 03 इंडिकेटर्स है यथा-

3.1-Percentage of FPOs(Farmers Producers Organisations) formed in the block against total sanctioned,

3.2-Percentage of beneficiaries under PM-KISAN with AEPB (Aadhar enabled payment bridge) seeded against total number of beneficiaries with land details seeded &

3.3-Percentage of Soil Health Cards generated against soil sample collection target

नीति आयोग द्वारा उक्त इंडिकेटर्स का डाटा सोर्स कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार से लिया गया है, जिसके अनुसार दिनांक 31.03.2023 के ऑकड़ों को बेसलाइन डाटा माना जाएगा तथा आगामी माहों में आवधिकता के अनुसार इसी बेसलाइन डाटा के आधार पर आकांक्षात्मक विकास खण्डों की प्रगति का अनुश्रवण किया जाएगा।

3- आकांक्षात्मक विकास खण्डों में उक्त तीनों इंडिकेटर्स के प्रगति का अनुश्रवण, शासन स्तर से नामित नोडल अधिकारी (विशेष सचिव, कृषि अनुभाग–5) एवं निदेशालय स्तर पर नामित नोडल अधिकारी (अपर कृषि निदेशक (तिलहन एवं दलहन)) है।

4- कृषि विभाग द्वारा मुख्यालय स्तर से नियोजन विभाग के पोर्टल (https://epariyojana.up.gov.in/ TABP/AdminDept/Login.aspx) पर इंडिकेटर 3.1 एवं 3.3 जिनकी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

आवधिकता अर्धवार्षिक है, का डाटा 15 अप्रैल एवं 15 अक्टूबर तक एवं इंडिकेटर 3.2 (आवधिकता-हर चार महीने पर) का डाटा 15 अप्रैल, 15 अगस्त एवं 15 दिसम्बर तक फीड कर पुष्टि किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। राज्य नोडल अधिकारी/सम्बन्धित योजनाधिकारी इंडिकेटर्स के डाटा की ससमय पुष्टि तथा डाटा की शुचिता एवं वास्तविकता के लिए उत्तरदायी होंगे।

5- जनपदों में उप कृषि निदेशक आकांक्षात्मक विकास खण्डों के लिये निर्धारित इंडिकेटर्स की प्रगति एवं अनुश्रवण हेतु प्रभारी अधिकारी होंगे तथा पोर्टल/डैशबोर्ड पर उपलब्ध अपने जनपद से सम्बन्धित विकास खण्डों के डाटा की शुचिता के लिए उत्तरदायी होंगे।

6- कृषि निदेशक द्वारा कृषि विभाग से सम्बन्धित इंडिकेटर्स की प्रगति की समीक्षा मासिक रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा अपेक्षित प्रदर्शन न करने वाले विकास खण्डों में वांछित प्रगति प्राप्त किये जाने हेतु एक कार्ययोजना बनाकर प्रभावी प्रयास किया जायेगा ।

7- कृषि निदेशक अपने स्तर पर समस्त आकांक्षात्मक विकास खण्डों में शत-प्रतिशत अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करेंगे।

8- राज्य नोडल अधिकारी द्वारा सम्बन्धित योजनाधिकारी से आकांक्षात्मक विकास खण्डों में किये जा रहे उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्यों तथा अभिनव प्रयोगों का विवरण मासिक रूप से प्राप्त कर नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

9- <u>इंडिकेटरवार मुख्य बिंदु निम्नवत है:-</u>

9.1 **Indicator 3.1 - Percentage of FPOs formed in the block against total sanctioned**

सम्बन्धित योजनाधिकारी- संयुक्त कृषि निदेशक (दलहन)

- भारत सरकार द्वारा निर्धारित FPO गठन के कुल लक्ष्य में से, 15 प्रतिशत कृषक उत्पादक संगठन का गठन एवं प्रोत्साहन, 108 आकांक्षात्मक विकास खण्डों में किया जायेगा।

- प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक विकास खण्ड में न्यूनतम 01 एफ0पी0ओ0 का गठन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं।

- चयनित 108 आकांक्षात्मक विकास खण्डों में, विकास खण्ड स्तरीय FPO क्षमता विकास प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा, जिसमें विशेषज्ञों से एफ0पी0ओ0 से सम्बन्धित वार्ता करायी जायेगी तथा मूल्य संवर्धन, वित्तीय प्रबन्धन एवं मार्केटिंग के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी।

- विकास खण्डों में एफ0पी0ओ0 से सम्बन्धित डाटा की शुचिता हेतु जनपदीय उप कृषि निदेशक को उत्तरदायित्व सौंपा गया है तथा उनके द्वारा शुचिता का परीक्षण कर ही, डाटा को यू0पी0 एफ0पी0ओ0 शक्ति पोर्टल पर अपलोड कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

- राज्य औसत से कम एफ0पी0ओ0 गठन वाले विकासखण्डों में राज्य औसत के बराबर अथवा उससे अधिक एफ0पी0ओ0 के गठन हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निम्न रणनीति अपनायी जायेगी:-

<u>कृषक उत्पादक संगठनों के गठन की रणनीति –</u>

- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा नामित कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से एफ0पी0ओ0 का गठन कराना।
- कृषकों को सफल एफ0पी0ओ0 का एक्सपोजर विजिट कराकर, गठन हेतु प्रेरित कराना।
- चयनित कार्यदायी संस्थाओं एवं सी0बी0बी0ओ0 के सहयोग से FPO को प्रेरित करने के लिए DMC की बैठकों का उपयोग करना।
- एफ0पी0ओ0 के गठन हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से कृषकों को जागरूक करना।
- कृषि विभाग एवं अन्य विभागों की योजनाओं से एफ0पी0ओ0 को प्राप्त होने वाले लाभ के बारे में कृषकों को जानकारी उपलब्ध कराना।
- यू0पी0 एफ0पी0ओ0 शक्ति पोर्टल के माध्यम से कृषको को एफ0पी0ओ0 से सम्बन्धित अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराना।
- कृषकों द्वारा उत्पादित उत्पाद को FPO के सहयोग से मूल्य संवर्धन कर व्यावसायिक रूप देने एवं लाभ के बारे जानकारी प्रदान कराना।

9.2 Indicator 3.2 - Percentage of beneficiaries under PM KISAN with AEPB seeded against total number of beneficiaries with land details seeded

सम्बन्धित योजनाधिकारी- अपर कृषि निदेशक (भूमि संरक्षण)

- 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' के अंतर्गत 108 आकांक्षात्मक विकास खण्डों में किसानों को योजना का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कराने हेतु कृषि विभाग के न्याय- पंचायत स्तरीय कर्मचारी/तकनीकी सहायक, लेखपालों के साथ समन्वय बना कर ब्लाक में मृत एवं अपात्र कृषकों को योजना से अपर्वजन तथा जीवित पात्र कृषक परिवारों का चिन्हीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, जिससे पात्र कृषक, जो अभी तक लाभ से वंचित है, को प्राथमिकता के आधार पर योजना का लाभ दिया जा सके| इस हेतु तकनीकी सहायक द्वारा कृषकों का पंजीकरण कराना एवं कतिपय कमियों यथा eKYC आधार सीडिंग, भू-लेख अंकन के बारे में अवगत कराते हुए प्रत्येक पात्र कृषक को योजना से लाभान्वित कराने का कार्य कराना सुनिश्चित किया जायेगा। इसकी मासिक प्रगति रिपोर्ट उप कृषि निदेशक द्वारा नोडल अधिकारी, पी0एम0 किसान, उ0प्र0 को प्रेषित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- प्रत्येक माह में ग्राम पंचायत स्थल पर न्यूनतम एक बार बैठक आयोजित कर अधिक से अधिक समस्याओ का अनिवार्यतः निवारण कराया जायेगा।

- बैठक मे ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में सम्बन्धित कृषि विभाग के तकनीकी सहायक, ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी/पंचायत सेक्रेटरी, लेखपाल अनिवार्य रुप से उपस्थित होगें तथा उसकी सूचना एवं कार्यवृत्त जनपद के उप कृषि निदेशक द्वारा मुख्यालय के पी0एम0 किसान सेल एवं आईटी सेल को ई-मेल से उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत-वार बैठक की समय सारणी, इस प्रकार निर्धारित हो कि प्रत्येक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी अनिवार्य रुप से उपस्थित होकर समस्याओं का निराकरण कराये।

- नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा जारी सभी प्रारुपो पर ब्लाक-वार डाटा का संकलन तथा उसकी शुचिता जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा की जायेगी, जिसको कृषि निदेशालय/मुख्यालय के सहायक निदेशक, आई0टी0 सेल को समय से उपलब्ध कराया जायेगा|

- समस्त 108 आकांक्षात्मक विकास खण्डों के आगामी वर्षो के लक्ष्य, निदेशालय स्तर से समस्त संबंधित उप कृषि निदेशकों को माह के अंत तक उपलब्ध करा दिया जायेगा|

9.3 Indicator 3.3 - Percentage of Soil Health Cards generated against soil sample collection target

सम्बन्धित योजनाधिकारी- संयुक्त कृषि निदेशक (शोध एवं मृदा सर्वेक्षण)

- आकांक्षात्मक विकासखण्डों को संतृप्त किये जाने के उद्देश्य से चरणबद्ध तरीके से 10-10 ग्राम पंचायतों का चयन किया जाना है।

- मृदा नमूनों का एकत्रीकरण जनपद स्तर पर नामित प्राविधिक सहायक/ए0टी0एम0/ बी0टी0एम0 द्वारा किया जायेगा, जिनका पंजीकरण भारत सरकार के पोर्टल soilhealth.dac.gov.in पर होना अनिवार्य है।

- मृदा नमूनों का एकत्रीकरण भारत सरकार के मोबाइल ऐप के माध्यम से जियो-टैगिंग के आधार पर किया जायेगा। विश्लेषित मृदा नमूनों का डाटा भारत सरकार के पोर्टल पर फीड किया जायेगा।

- मृदा नमूनों के परिणाम को भविष्य में डिजिटल माध्यम से भी कृषक को उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।

- कार्यक्रम/योजना की समीक्षा प्रत्येक माह जनपद, मण्डल एवं प्रदेश स्तर पर की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- Soil Health and Fertility कार्यक्रम अन्तर्गत 108 आकांक्षात्मक विकासखण्डों की मासिक प्रगति रिपोर्ट जनपदीय उप कृषि निदेशक एव मण्डलीय सहायक निदेशक (मृ0परी0/क0) द्वारा संयुक्त कृषि निदेशक (शोध एवं मृदा सर्वेक्षण) को प्रेषित की जायेगी।
- नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा जारी सभी प्रारूपों पर विकासखण्डवार डाटा का संकलन तथा उसकी शुचिता जनपदीय उप कृषि निदेशक/मण्डलीय सहायक निदेशक (मृ0परी0/ कल्चर) द्वारा की जायेगी, जिसे कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश के संयुक्त कृषि निदेशक (शोध एवं मृदा सर्वेक्षण) को उपलब्ध कराया जायेगा।

कृपया उक्त निर्देशों का अनुपालन करते हुए आकांक्षात्मक विकासखण्डों में कृषि विभाग से सम्बंधित तीनो इंडिकेटर्स के लक्ष्यों की पूर्ति कराते हुए निर्धारित समय सीमा के अनुसार नियोजन विभाग एवं शासन को सूचना नियमित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
रविन्द्र
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. विशेष सचिव, स्टेट ट्रांसफॉरमेशन कमीशन-1/2।
5. समस्त सम्बंधित मंडलायुक्त, उ0प्र0।
6. समस्त सम्बंधित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त सम्बंधित मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उ0प्र0।
8. समस्त सम्बंधित जनपदीय उप कृषि निदेशक, उ0प्र0।
9. समस्त सम्बंधित जिला कृषि अधिकारी, उ0प्र0।
10. विशेष सचिव, कृषि अनुभाग 2, 3 एवं 5।
11. सम्बन्धित योजनाधिकारी (अपर कृषि निदेशक (भूमि संरक्षण)/ संयुक्त कृषि निदेशक (शोध एवं मृदा सर्वेक्षण)/ संयुक्त कृषि निदेशक (दलहन)), कृषि भवन, उ0प्र0।
12. अपर कृषि निदेशक (तिलहन एवं दलहन), उ0प्र0।

भवदीय,
रविन्द्र
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in